न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 77 / 2021
तारीख दायर : 05.08.2021

अनवान

1. मथरा पिता चतरा जाति बैरवा निवासी रायसिंहपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. देउ पत्नि भोलु जाति बैरवा निवासी रायसिंहपुरा तहसील माण्डलगढ़।
3. हीरा पिता चतरा जाति बैरवा निवासी रायसिंहपुरा तहसील माण्डलगढ़।
4. नाथू पिता उगमा जाति बैरवा निवासी रायसिंहपुरा तहसील माण्डलगढ़।

प्रार्थीगण...

बनाम

1. भोजा पिता नाना जाति बैरवा निवासी रायसिंहपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. रामेश्वर पिता नाना जाति बैरवा निवासी रायसिंहपुरा तहसील माण्डलगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

अप्रार्थीगण...

उपस्थित :–

1. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री राधेश्याम शर्मा (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 09.12.2022

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी मूल रूप से ग्राम रायसिंहपुरा पटवार हल्का खाचरोल तहसील माण्डलगढ के निवासी है किन्तु उनकी खातेदारी मे दर्ज भूमि खसरा संख्या 435 / 380, 436 / 380, 437 / 380 स्थित है उक्त खातेदारी में दर्ज भूमि पर वर्ष भर पैदल आने जाने सजबैल, ट्रेक्टर ट्रोली व अन्य परिवहन का साधन लाने ले जाने के लिए ग्राम रायसिंहपुरा से सुरडिया सडक से निकलकर आराजी संख्या 432 / 364, 433 / 380 की पूर्वी मेर पर होकर आराजी सख्या 434 / 380 की पूर्वी मेर पर होकर आराजी संख्या 435 / 380 व 436 / 380 में होकर अपनी कृषि भूमि मे पहुचते है। उक्त रास्ता मोके पर करीब 15 से 20 फीट चोडा रास्ता है जिसको प्रार्थीगण पीढी दर पीढी उपयोग उपभोग मे लेते चले आ रहे है लेकिन दिनांक 28.06.2021 को प्रार्थीगण को विपक्षीगण ने अपने खेत पर आने जाने हेतु मना कर दिया तब ज्ञात हुआ कि मोके पर जो रास्ता है वह राजस्व रेकार्ड व नक्शे मे दर्ज नही है उसके पश्चात प्रार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड की नकले निकलवायी व उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग पीढी दर पीढ़ी सदैव प्रार्थीगण करते रहे है प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पहुचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण खातेदार भूमि खसरा संख्या 435 / 380, 436 / 380, 437 / 380 है प्रार्थीगण को रास्ते की अति आवश्यकता है रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि की देखभाल नही कर पायेगा। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि हेतु बनने वाली मुआवजे की राशि भुगतान हेतु प्रार्थीगण जमा करवाने के लिये तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा वांछित रास्ता हाजरी नक्शे में ए से बी बिन्दु दर्शाया गया है जिसको राजस्व रेकार्ड व नक्शे में रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कराया जावे।

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस सम्मन व नकल प्रार्थना पत्र भेज तलब किया गया।

उपखण्ड अधिकारी

दिनांक 25.11.2022 को विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राधेश्याम शर्मा ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्य सरासर गलत एवं मिथ्या होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण ने जिस जगह से अपनी जमीन मे आने जाने एवं संज बैल ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने का रास्ता चाहा गया है। वहाँ पर मौके पर कोई रास्ता नही हैं वहाँ वर्षो पूर्व से ही फसले काश्त की जा रही हैं अभी वर्तमान में भी फसल काश्त की हुई हैं। अभी मोके पर आराजी न० 432/364, 433/380 की पूर्वी मेड पर होकर आराजी न0 434/380 की पूर्वी मेड पर कोई रास्ता मोजूद नही है और न ही पूर्व मे भी रास्ता अस्तित्व मे रहा है। प्रार्थीगण की जमीन पर आने जाने एवं संजबैल ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने का रास्ता मौके पर मौजूद है जो विपक्षीगण की खातेदारी जमीन आराजी न० 434/380 की पश्चिमी मेड पर से होकर प्रार्थीगण की जमीन में पहुँचता है जो वर्षों पुराना रास्ता हैं। विपक्षीगण भी अपने कुंए पर जाने इसी रास्ते का उपयोग करते है। प्रार्थीगण की जमीन पर आने जाने हेतु रास्ता होने के बावजूद भी दूसरा रास्ता लेने हेतु गलत एवं मिथ्या तथ्यो पर प्रार्थनापत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बिना किसी उचित आधार के पेश होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 25.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प खाचरोल में तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक 12 दिनांक 25.11.2021 से मौका रिपोर्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत करवाया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रायसिंहपुरा की आराजी संख्या 435/380, 436/380, 437/380 पर आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 434/380 में रास्ता चाहा गया है। ग्राम रायसिंहपुरा से सुरडिया जाने वाली कच्ची सड़क के सहारे दक्षिण दिशा में आराजी संख्या 434/380 की पूर्वी मेर पर बहूत समय से रास्ते के उपयोग में आ रही है, जिसे वर्तमान में विपक्षी के द्वारा बन्द कर दिया है। प्रार्थीगण के आराजियात पर पंहुचने के लिये इस रास्ते के अलावा कोई नजदीकी रास्ता नही है। विपक्षीगण की आराजी संख्या 434/380 रकबा 0.2104 हैक्टेयर में से 0.0323 हैक्टेयर भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी। पक्षकारान् को मौके पर उपस्थित होने बाबत् सूचित किया गया।

दिनांक 22.06.2022 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक राजस्व/2022/63 दिनांक 22.06.2022 से पूनः रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें अवगत करवाया कि प्रार्थी की ग्राम रायसिंहपुरा स्थित खातेदारी पर जाने हेतु विपक्षी की ग्राम रायसिंहपुरा पटवार हल्का खाचरोल स्थित आराजी संख्या 434/380 रकबा 0.2104 हैक्टेयर में से 0.0323 हैक्टेयर भूमि की प्रस्तावित रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 589567 रूपये प्रति हैक्टेयर से मालियत की दुगुनी राशि 38114 रूपये बनते है।

दिनांक 09.12.2022 को हमने सर्वपक्षीय की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी नक्शा एवं दिनांक 10.10.2022 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम एवं नजदीकी है। विपक्षी की खाते की 0.0323 हैक्टेयर भूमि रास्ते के उपयोग हेतु ली जावेगी। रास्ते हेतु 0.0323 हैक्टेयर भूमि का उपयोग होगा जिसकी की वर्तमान डी.एल.सी. दर 589567 रुपया प्रति हैक्टेयर से 38114 रुपया भूमि का बनता है। बाद अवलोकन एवं मनन पाया गया कि प्रथम दृष्ट्या प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतित होता है।

अतः राजस्थान कास्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70 (1)(II) () के अनुसरण में प्रार्थीगण मथरा पिता चतरा बैरवा वगैरह की ग्राम [illegible] [रायसिंहपुरा] पटवार ह[illegible] [खाचरोल] की आराजी संख्या 435/380, 436/380,

437/380 रकबा 0.2994 हैक्टेयर पर पहुचने हेतु अप्रार्थी भोजा पिता नाना जाति बैरवा वगैरह की ग्राम रायसिंहपुरा पटवार हल्का खाचरोल के आराजी संख्या 434/380 रकबा 0.2104 हैक्टेयर में से 0.0323 हैक्टेयर भुमि, जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 589567 रुपया प्रति हैक्टेयर से दुगना 38114 रुपया प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किये जाने पर एवं अप्रार्थीगण द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 09.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * माण्डलगढ़, जिला-भीलवाड़ा *
सत्यमेव जयते

जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़